राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

202/2019 नेमीचन्द / सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17/9/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरुद्ध प्रतिवादी/रेस्पो. इस आशय का प्रस्तुत किया की ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा गिरदावर हरमाड़ा तहसील आमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 491/871, 492/790,495,496,497 कुल 5 रकबा 1.87 हैक्टेयर की गैर खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है तथ इससे पूर्व वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। उक्त आराजीयात पर वादीगण अपने पिता के जीवन काल से काश्त करते आ रहे है तथा आज भूमि का कब्जा काश्त है। विवादित आराजीयत के आवंटन के बाद से ही आवंटी द्वारा व उसके वारिसान द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गयी है। परन्तु राजस्व क्रमचारियो की लापरवाही के कारण उक्त आराजीयत की खातेदारी अधिकार वादीगण को नही दिए गये। उक्त आराजियात पर निरंतर वादीगण काबिज होकर काश्त करते है। तथा राज्य सरकार द्वारा तय लगान जमा करते आ रहे है। व वादीगण को स्वत: ही खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके है। परन्तु राजस्व में गैर खातेदारी दर्ज होने से यह दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा का वादीगण द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादपत्र के अंत में ईस्तदुआ की गयी की वाद वादीगण बाबत इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा खातेदारी अधिकारों की इस प्रकार डिक्री किया जावे की वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयत का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। एवं प्रतिवादी को पाबंद किया जावे। जिसके पश्चात प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाब वाद के आधार पर तनकीयात कायम की गयी। एवं पत्रावली दिनांक 07/06/2018 को राजस्व कैम्प कोर्ट नांगल सिरस में नियत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया की प्रस्तुत वाद बाबत गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है। जिसके सबन्ध में न्यायालय हाजा को गैर खातेदारी का नामान्तरण अंकन किये जाने का अधिकार नही

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख ने इस नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
202/2019	मेमीचन्द / सरकार	

होने से वाद वादी ख़ारिज किया जाता है। तथा वादी सक्षम न्यायालय में गैर खातेदारी को खातेदारी में अंकन करवाये जाने की प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की स्वतन्त्र रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया की अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रतिवादी की और से जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम की जा चुकी थी। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था की वे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर कायम की गयी तनकीयात का विवेचन विचेनात्मक निर्णय पारित करते। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा के वाद को मात्र गैर खातेदारी को खातेदारी का नामान्तकरण किये जाने का प्रकरण धारित कर गलत रूप से सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर ख़ारिज कर दिया है। जिससे निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की प्रतिप्रेषित किया जावे। एवं अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपिलाधीन निर्णय को सही बताते हुये निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण का अनुतोष प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार नही होने से वादी का वाद ख़ारिज किया गया है। जिसमे कोई त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन वाद कृषि आराजीयात के सन्दर्भ में घोषणा खातेदारी का है। जिसका क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से राजस्व न्यायालय में निहित है। एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नेमीचन्द / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
202/2019		

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जवाब वाद एवं कायम की गयी तनकीयात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है की घोषणा के वाद में की जाने वाली अग्रिम कायवाही को सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है किन्तु तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक होने के बावजूद भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया नही अपनाई जाकर सरसरी तौर पर निर्णय जैर अपील दिनांक 07/06/2018 पारित कर वादी वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जो विधि अनुसार एवं न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07/06/2018 निरस्त किये जाते है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे विचाराधीन वाद में साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पुन: पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर